गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ।

ई–नीलामी की सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ताल में नया सेवरा पर प्लेट फार्म नं0–4 से पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट, प्लेट फार्म नं0–8 से पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट, प्लेट फार्म नं0–9 से पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट एवं प्लेट फार्म नं0–10 से पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट को संस्था/व्यक्ति द्वारा स्वयं के संसाधनों सहित मासिक किराये पर संचालन के लिए ई–नीलामी हेतु दिनांक 11 / 9 /2025 से दिनांक 22/ 9 /2025 तक आनलाइन पंजीकरण खोला जा रहा है। उक्त अवधि में आनलाइन पंजीकृत आवेदकों के मध्य दिनांक 26/ 9/2025 को ई–नीलामी सम्पन्न होगी । आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक गतिविधियों के लिए विड डाली जा सकती है। ई–नीलामी से सम्बन्धित नियम शर्ते व अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट **www.gdagkp.in** पर उपलब्ध है, जिस पर इच्छुक संस्था/व्यक्ति आनलाइन पंजीकरण कर सकते है।

(पुष्पराज सिंह)
पी0सी0एस0
सचिव

(आनन्द वर्द्धन)
आई0ए0एस0
उपाध्यक्ष

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ताल नया सवेरा पर प्लेट फार्म नं0– 4 से पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट को स्वयं के संसाधनों सहित संचालन हेतु नियम व शर्ते निम्नवत है :–

1– प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ताल में पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट को स्वयं के संसाधनों सहित संचालन करने हेतु अनुज्ञा/लाईसेन्स के आधार पर स्थल उपलब्ध कराया जायेगा।

2– आवेदक को ई–नीलामी में भाग लेने के लिए पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट गतिविधि हेतु निर्धारित पंजीकरण धनराशि रू0–10,00,000.00 जमानत धनराशि के रूप में जमा करना होगा । आवेदक के परिवार का कोई एक ही सदस्य नियमानुसार ई–नीलामी में भाग ले सकेगा ।

3– ई–नीलामी में भाग लेने वाले संस्था/व्यक्ति का प्राधिकरण में किसी प्रकार का कोई बकाया नही होना चाहिए ।

4– ई–नीलामी में भाग लेने वाले संस्था/व्यक्ति का मान्यता प्राप्त वैध संस्थान से कम से कम बोट संचालन का 05(पाँच) वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने वाली संस्था से भारमुक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

5– मान्यता प्राप्त वैध संस्थान से प्रशिक्षित बोट चालक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट के संचालन हेतु प्रत्येक गतिविधि हेतु न्यूनतम किराया प्रतिमाह रू0–2,31,000.00 एवं विड की धनराशि रू0–10,000.00 निर्धारित है

7– उक्त स्थल का आवंटन नियमानुसार उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में किया जायेगा । उच्चतम बोलीदाता द्वारा पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर 03 माह का किराया एवं नियमानुसार जी0एस0टी0 अग्रिम के रूप में जमा कर नियमानुसार पंजीकृत अनुबन्ध निष्पादित कराने के पश्चात् कब्जा प्राप्त करना होगा । अनुबन्ध निष्पादित होने वाले समस्त व्यय का दायित्व लाईसेन्स धारक का होगा।

8– उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली स्वीकृत होने के उपरान्त यदि निर्धारित अवधि में वांछित धनराशि/किराया विलम्ब से जमा किया जाता है, तो देय धनराशि पर 15 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज देय होगा, जो अधिकतम तीन माह तक देय होगा । निरन्तर 03 माह तक किराये की धनराशि जमा न करने पर जमा जमानत धनराशि को जब्त कर आवंटन/लाईसेन्स उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा ।

9– उक्त अनुज्ञा/लाईसेन्स प्रथमतः 3 वर्ष के लिए ई–नीलामी के माध्यम से दिया जायेगा, जिसका नवीनीकरण लाईसेन्स धारक का कार्य सन्तोष जनक होने पर प्राधिकरण द्वारा पुनः 02 वर्ष के लिए अनुज्ञा/लाईसेन्स की अविध बढ़ायी जा सकती है। कार्य की कुल अवधि 05 वर्ष ही रहेगी। नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा। किराये की धनराशि में प्रति वर्ष

12.36 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लाईसेन्स धारक को प्राधिकरण कोष में किराया जमा करना होगा ।

10– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट के संचालन हेतु दरो का निर्धारण लाईसेन्स धारक द्वारा प्राधिकरण की सहमति से किया जायेगा व किसी भी शासकीय कर इत्यादि के भुगतान का दायित्व लाईसेन्स धारक का होगा। उपयोग में लायी जाने वाली पर्यटन मोटर बोट के संचालन हेतु की संख्या प्राधिकरण की अनुमति से निर्धारित की जायेगी।

11– लाईसेन्स धारक स्थल का उपयोग केवल अनुज्ञा (लाईसेन्स) में वर्णित प्रयोजन यथा पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट के संचालन हेतु करेगा। इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य/प्रयोजन हेतु इसका प्रयोग नही किया जा सकेगा।

12– गतिविधि हेतु उपलब्ध कराये गये स्थल पर कोई क्षति कारित नही की जायेगी।

13– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट का संचालन विधि विहित प्रक्रिया एवं नियमानुसार किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों/सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमति, रजिस्ट्रेशन एवं परमिट आदि प्राप्त करने का उत्तरदायित्व लाईसेन्स धारक का होगा एवं इस सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्ययों को लाईसेन्स धारक द्वारा वहन किया जायेगा। समस्त आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने के उपरान्त ही संचालन प्रारम्भ किया जायेगा।

14– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट को सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारियों/परामर्शदाताओं/ विशेषज्ञों/लाइफ गार्ड के नियोजन का दायित्व भी लाईसेन्स धारक का होगा व इस सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्ययों को लाईसेन्स धारक द्वारा वहन किया जायेगा। लाइसेन्स धारक का यह दायित्व होगा कि उसके द्वारा प्रशिक्षित व अनुभव प्राप्त कर्मचारी/विशेषज्ञों/ परामर्शदाताओं को ही नियोजित किया जायेगा, जिनके द्वारा ही बोट संचालित किया जायेगा। नियोजित कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

15– लाईसेन्स धारक को प्राधिकरण के पास जमानत धनराशि के रूप में जमा धनराशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। यदि लाईसेन्स धारक पर प्राधिकरण का किसी प्रकार का बकाया है, तो उसका समायोजन जमानत धनराशि से किये जाने हेतु प्राधिकरण स्वतन्त्र होगा।

16– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट स्वयं के संसाधनों सहित संचालित करने हेतु निर्धारित नियम व शर्तो के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण को समय–सयम पर निरीक्षण करने का अधिकार होगा और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारी/विशेषज्ञ एवं परामर्शी निरीक्षण करने के अधिकारी होंगे तथा संचालन किसी भाग/अंश में निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता अथवा निर्धारित नियम एवं शर्तो के उल्लंघन सम्बन्धी कोई कृत्य पाये जाने की दशा में प्राधिकरण, लाईसेन्स धारक को समुचित निर्देश निर्गत करने तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

17– प्राधिकरण को पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट के संचालन हेतु समय–समय पर आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार होगा तथा लाईसेन्स धारक को उक्त निर्गत निदेर्शो का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।

18– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट का सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन एवं आवश्यक रख–रखाव, साफ–सफाई आदि की व्यवस्था लाईसेन्स धारक की होगी तथा किसी अव्यवस्था, आकस्मिक घटना, दुर्घटना अथवा संयोगवश परियोजना का कोई ग्राहक, लाभार्थी, कर्मचारी अथवा कोई विजिटर क्षतिग्रस्त होता है तथा क्षतिपूर्ति का दावा करता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करने का दायित्व लाईसेन्स धारक का होगा।

19– लाईसेन्स धारक अथवा उसके कर्मचारीगण अतिथियों अथवा पर्यटकों के साथ दुर्व्यहार अथवा झगड़ा–फसाद नही करेंगे।

20– लाईसेन्स धारक पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट के संचालन के अतिरिक्त किसी प्रकार अवैध अथवा अनैतिक कृत्य नही करेगा और न ही ऐसे अवैध एवं अनैतिक कृत्य किये जाने हेतु किसी को अनुमति या प्रश्रय प्रदान करेगा।

21– प्राधिकरण एवं लाईसेन्स धारक के मध्य निष्पादित लाईसेन्स को प्राधिकरण द्वारा लाईसेन्स धारक को बिना कोई कारण दर्शाये 30 दिन का नोटिस देते हुए समाप्त किया जा सकेगा। उपरोक्त स्थिति में लाईसेन्स धारक को किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति (कम्पनशेसन) देय नही होगा।

22– लाईसेन्स समाप्त होने/निरस्त किये जाने की दशा में लाईसेन्स धारक पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट का संचालन बन्द करते हुए यदि कोई उपकरण/सामग्री प्रथम पक्ष से प्राप्त किये है, तो उक्त सामग्री को यथास्थिति में प्राधिकरण को वापस करनी होगी।

23– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट का संचालन हेतु लाईसेन्स धारक द्वारा सम्पत्ति की सुरक्षा एवं किसी दुर्घटना आदि के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु अपने व्यय पर लाईसेन्स धारक द्वारा सर्वग्राही इन्श्योरेन्स कराया जायेगा।

24– प्राधिकरण एवं लाईसेन्स धारक के मध्य निष्पादित लाईसेन्स में प्राविधानित नियम व शर्तो को लाईसेन्स धारक किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को हस्तान्तरित अथवा किरायेदारी (सबलेटिंग) पर देने का अधिकार नही होगा। उपरोक्त शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में प्राधिकरण को लाईसेन्स धारक द्वारा जमा करायी गयी जमानत की धनराशि को जब्त करते हुए निष्पादित किये गये लाईसेन्स को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त करने का अधिकार होगा व अन्य विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

25– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट के संचालन में स्थलों पर विधि एवं नियमानुसार आवश्यक सभी सुरक्षा उपकरणों यथा अग्नि शमन उपकरण, पूर्ण सुसज्जित फर्स्ट ऐड बाक्स, लाइफ गार्ड आदि की व्यवस्था का पूर्ण दायित्व लाईसेन्स धारक का होगा ।

26– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट के अधीन संचालित सेवाओं एवं सुविधाओं से सम्बन्धित सभी स्थानों का समुचित रख–रखाव, साफ–सफाई आदि की व्यवस्था का पूर्ण दायित्व लाईसेन्स धारक अपने व्यय पर स्वयं वहन करेगा।

27– यदि विकास प्राधिकरण/नगर निगम/सिचाई विभाग/शासन द्वारा एवं माननीय न्यायालय द्वारा लाईसेन्स धारक को आवंटित स्थल/परिसर के सम्बन्ध में कोई आदेश/निर्देश निर्गत किये जाते है या कोई नियम एवं शर्त निर्धारित की जाती है, जिससे आवंटित स्थल प्रभावित हो तो इन नियमों/शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जायेगी जो लाईसेन्स धारक को मान्य/बाध्य होगी। इस सम्बन्ध में लाईसेन्स धारक को प्राधिकरण से किसी भी प्रकार का प्रतिकर पाने का कोई अधिकार नही होगा।

28– बोट के संचालक एवं बोट चालक को बोट के संचालन के समय मद्यपान (सूखा नशा व गीला नशा) करना निषेध होगा तथा पर्यटक भी यदि नशे की स्थिति में होने पर उन्हें बोट पर बैठाना वर्जित होगा।

29– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट के संचालन एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में पर्यावरण सम्बन्धी कानूनों का अनुपालन लाईसेन्स धारक को सुनिश्चित करना होगा।

30– विद्युत कनेक्शन लाईसेन्स धारक द्वारा स्वयं लिया जायेगा और उसका भुगतान ससमय करना होगा।

31– शर्तो आदि के सम्बन्ध में विवाद होने पर उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर आर्बीटेटर होगें और उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर का निर्णय ही अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

32– लाईसेन्स धारक द्वारा उपरोक्त समस्त नियम एवं शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार उल्लिखित किसी एक अथवा अधिक नियम एवं शर्तो का लाईसेन्स धारक द्वारा उल्लंघन किये जाने पर अथवा किसी कानून का उल्लंघन किये जाने पर अथवा शासकीय तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अनुपालन न किये जाने पर अथवा सन्तोषजनक सेवा व व्यवस्था प्रदान न किये जाने की स्थिति में जमा समस्त जमानत धनराशि जब्त करने व अन्य विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को होगा। ऐसी दशा में लाईसेन्स धारक को कोई क्षतिपूर्ति या मुआवजा देय नही होगा।

33– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट का संचालन एन0जी0टी0 के नियमों/आदेशों के अधीन होगा।

34– किसी भी प्रकार के विवाद होने की दशा में न्यायिक क्षेत्र गोरखपुर होगा।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ताल नया सवेरा पर प्लेट फार्म नं0– 8 से पर्यटन मोटर बोटव स्पीड बोट, प्लेट फार्म नं0– 9 से पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट एवं प्लेट फार्म नं0– 10 से पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट को स्वयं के संसाधनों सहित संचालन हेतु नियम व शर्ते निम्नवत है :–

1– प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ताल में पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट को स्वयं के संसाधनों सहित संचालन करने हेतु अनुज्ञा/लाईसेन्स के आधार पर स्थल उपलब्ध कराया जायेगा।

2– आवेदक को ई–नीलामी में भाग लेने के लिए पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट गतिविधि हेतु निर्धारित पंजीकरण धनराशि रू0–5,00,000.00 जमानत धनराशि के रूप में जमा करना होगा । आवेदक के परिवार का कोई एक ही सदस्य नियमानुसार ई–नीलामी में भाग ले सकेगा ।

3– ई–नीलामी में भाग लेने वाले संस्था/व्यक्ति का प्राधिकरण में किसी प्रकार का कोई बकाया नही होना चाहिए ।

4– ई–नीलामी में भाग लेने वाले संस्था/व्यक्ति का मान्यता प्राप्त वैध संस्थान से कम से कम बोट संचालन का 05(पाँच) वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने वाली संस्था से भारमुक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

5– मान्यता प्राप्त वैध संस्थान से प्रशिक्षित बोट चालक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट के संचालन हेतु प्रत्येक गतिविधि हेतु न्यूनतम किराया प्रतिमाह रू0–1,23,600.00 एवं विड की धनराशि रू0–10,000.00 निर्धारित है

7– उक्त स्थल का आवंटन नियमानुसार उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में किया जायेगा । उच्चतम बोलीदाता द्वारा पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर 03 माह का किराया एवं नियमानुसार जी0एस0टी0 अग्रिम के रूप में जमा कर नियमानुसार पंजीकृत अनुबन्ध निष्पादित कराने के पश्चात् कब्जा प्राप्त करना होगा । अनुबन्ध निष्पादित होने वाले समस्त व्यय का दायित्व लाईसेन्स धारक का होगा।

8– उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली स्वीकृत होने के उपरान्त यदि निर्धारित अवधि में वांछित धनराशि/किराया विलम्ब से जमा किया जाता है, तो देय धनराशि पर 15 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज देय होगा, जो अधिकतम तीन माह तक देय होगा । निरन्तर 03 माह तक किराये की धनराशि जमा न करने पर जमा जमानत धनराशि को जब्त कर आवंटन/लाईसेन्स उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा ।

9– उक्त अनुज्ञा/लाईसेन्स प्रथमतः 3 वर्ष के लिए ई–नीलामी के माध्यम से दिया जायेगा, जिसका नवीनीकरण लाईसेन्स धारक का कार्य सन्तोष जनक होने पर प्राधिकरण द्वारा पुनः 02 वर्ष के

लिए अनुज्ञा/लाईसेन्स की अविध बढ़ायी जा सकती है। कार्य की कुल अवधि 05 वर्ष ही रहेगी। नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा। किराये की धनराशि में प्रति वर्ष 12.36 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लाईसेन्स धारक को प्राधिकरण कोष में किराया जमा करना होगा ।

10– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट के संचालन हेतु दरो का निर्धारण लाईसेन्स धारक द्वारा प्राधिकरण की सहमति से किया जायेगा व किसी भी शासकीय कर इत्यादि के भुगतान का दायित्व लाईसेन्स धारक का होगा। उपयोग में लायी जाने वाली पर्यटन मोटर बोट के संचालन हेतु की संख्या प्राधिकरण की अनुमति से निर्धारित की जायेगी।

11– लाईसेन्स धारक स्थल का उपयोग केवल अनुज्ञा (लाईसेन्स) में वर्णित प्रयोजन यथा पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट के संचालन हेतु करेगा। इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य/प्रयोजन हेतु इसका प्रयोग नही किया जा सकेगा।

12– गतिविधि हेतु उपलब्ध कराये गये स्थल पर कोई क्षति कारित नही की जायेगी।

13– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट का संचालन विधि विहित प्रक्रिया एवं नियमानुसार किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों/सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमति, रजिस्ट्रेशन एवं परमिट आदि प्राप्त करने का उत्तरदायित्व लाईसेन्स धारक का होगा एवं इस सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्ययों को लाईसेन्स धारक द्वारा वहन किया जायेगा। समस्त आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने के उपरान्त ही संचालन प्रारम्भ किया जायेगा।

14– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट को सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारियों/परामर्शदाताओं/ विशेषज्ञों/लाइफ गार्ड के नियोजन का दायित्व भी लाईसेन्स धारक का होगा व इस सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्ययों को लाईसेन्स धारक द्वारा वहन किया जायेगा। लाइसेन्स धारक का यह दायित्व होगा कि उसके द्वारा प्रशिक्षित व अनुभव प्राप्त कर्मचारी/विशेषज्ञों/ परामर्शदाताओं को ही नियोजित किया जायेगा, जिनके द्वारा ही बोट संचालित किया जायेगा। नियोजित कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

15– लाईसेन्स धारक को प्राधिकरण के पास जमानत धनराशि के रूप में जमा धनराशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। यदि लाईसेन्स धारक पर प्राधिकरण का किसी प्रकार का बकाया है, तो उसका समायोजन जमानत धनराशि से किये जाने हेतु प्राधिकरण स्वतन्त्र होगा।

16– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट स्वयं के संसाधनों सहित संचालित करने हेतु निर्धारित नियम व शर्तो के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण को समय–सयम पर निरीक्षण करने का अधिकार होगा और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारी/विशेषज्ञ एवं परामर्शी निरीक्षण करने के अधिकारी होंगे तथा संचालन किसी भाग/अंश में निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता अथवा निर्धारित नियम एवं शर्तो के उल्लंघन सम्बन्धी कोई कृत्य पाये जाने की दशा में प्राधिकरण, लाईसेन्स धारक को समुचित निर्देश निर्गत करने तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

17– प्राधिकरण को पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट के संचालन हेतु समय–समय पर आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार होगा तथा लाईसेन्स धारक को उक्त निर्गत निदेर्शो का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।

18– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट का सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन एवं आवश्यक रख–रखाव, साफ–सफाई आदि की व्यवस्था लाईसेन्स धारक की होगी तथा किसी अव्यवस्था, आकस्मिक घटना, दुर्घटना अथवा संयोगवश परियोजना का कोई ग्राहक, लाभार्थी, कर्मचारी अथवा कोई विजिटर क्षतिग्रस्त होता है तथा क्षतिपूर्ति का दावा करता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करने का दायित्व लाईसेन्स धारक का होगा।

19– लाईसेन्स धारक अथवा उसके कर्मचारीगण अतिथियों अथवा पर्यटकों के साथ दुर्व्यहार अथवा झगड़ा–फसाद नही करेंगे।

20– लाईसेन्स धारक पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट के संचालन के अतिरिक्त किसी प्रकार अवैध अथवा अनैतिक कृत्य नही करेगा और न ही ऐसे अवैध एवं अनैतिक कृत्य किये जाने हेतु किसी को अनुमति या प्रश्रय प्रदान करेगा।

21– प्राधिकरण एवं लाईसेन्स धारक के मध्य निष्पादित लाईसेन्स को प्राधिकरण द्वारा लाईसेन्स धारक को बिना कोई कारण दर्शाये 30 दिन का नोटिस देते हुए समाप्त किया जा सकेगा। उपरोक्त स्थिति में लाईसेन्स धारक को किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति (कम्पनशेसन) देय नही होगा।

22– लाईसेन्स समाप्त होने/निरस्त किये जाने की दशा में लाईसेन्स धारक पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट का संचालन बन्द करते हुए यदि कोई उपकरण/सामग्री प्रथम पक्ष से प्राप्त किये है, तो उक्त सामग्री को यथास्थिति में प्राधिकरण को वापस करनी होगी।

23– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट का संचालन हेतु लाईसेन्स धारक द्वारा सम्पत्ति की सुरक्षा एवं किसी दुर्घटना आदि के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु अपने व्यय पर लाईसेन्स धारक द्वारा सर्वग्राही इन्श्योरेन्स कराया जायेगा।

24– प्राधिकरण एवं लाईसेन्स धारक के मध्य निष्पादित लाईसेन्स में प्राविधानित नियम व शर्तो को लाईसेन्स धारक किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को हस्तान्तरित अथवा किरायेदारी (सबलेटिंग) पर देने का अधिकार नही होगा। उपरोक्त शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में प्राधिकरण को लाईसेन्स धारक द्वारा जमा करायी गयी जमानत की धनराशि को जब्त करते हुए निष्पादित किये गये लाईसेन्स को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त करने का अधिकार होगा व अन्य विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

25– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट के संचालन में स्थलों पर विधि एवं नियमानुसार आवश्यक सभी सुरक्षा उपकरणों यथा अग्नि शमन उपकरण, पूर्ण सुसज्जित फर्स्ट ऐड बाक्स, लाइफ गार्ड आदि की व्यवस्था का पूर्ण दायित्व लाईसेन्स धारक का होगा ।

26– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट के अधीन संचालित सेवाओं एवं सुविधाओं से सम्बन्धित सभी स्थानों का समुचित रख–रखाव, साफ–सफाई आदि की व्यवस्था का पूर्ण दायित्व लाईसेन्स धारक अपने व्यय पर स्वयं वहन करेगा।

27– यदि विकास प्राधिकरण/नगर निगम/सिचाई विभाग/शासन द्वारा एवं माननीय न्यायालय द्वारा लाईसेन्स धारक को आवंटित स्थल/परिसर के सम्बन्ध में कोई आदेश/निर्देश निर्गत किये जाते है या कोई नियम एवं शर्त निर्धारित की जाती है, जिससे आवंटित स्थल प्रभावित हो तो इन नियमों/शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जायेगी जो लाईसेन्स धारक को मान्य/बाध्य होगी। इस सम्बन्ध में लाईसेन्स धारक को प्राधिकरण से किसी भी प्रकार का प्रतिकर पाने का कोई अधिकार नही होगा।

28– बोट के संचालक एवं बोट चालक को बोट के संचालन के समय मद्यपान (सूखा नशा व गीला नशा) करना निषेद्ध होगा तथा पर्यटक भी यदि नशे की स्थिति में होने पर उन्हें बोट पर बैठाना वर्जित होगा।

29– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट के संचालन एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में पर्यावरण सम्बन्धी कानूनों का अनुपालन लाईसेन्स धारक को सुनिश्चित करना होगा।

30– विद्युत कनेक्शन लाईसेन्स धारक द्वारा स्वयं लिया जायेगा और उसका भुगतान ससमय करना होगा।

31– शर्तो आदि के सम्बन्ध में विवाद होने पर उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर आर्बीटेटर होगें और उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर का निर्णय ही अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

32– लाईसेन्स धारक द्वारा उपरोक्त समस्त नियम एवं शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार उल्लिखित किसी एक अथवा अधिक नियम एवं शर्तो का लाईसेन्स धारक द्वारा उल्लंघन किये जाने पर अथवा किसी कानून का उल्लंघन किये जाने पर अथवा शासकीय तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अनुपालन न किये जाने पर अथवा सन्तोषजनक सेवा व व्यवस्था प्रदान न किये जाने की स्थिति में जमा समस्त जमानत धनराशि जब्त करने व अन्य विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को होगा। ऐसी दशा में लाईसेन्स धारक को कोई क्षतिपूर्ति या मुआवजा देय नही होगा।

33– पर्यटन मोटर बोट व स्पीड बोट का संचालन एन0जी0टी0 के नियमों/आदेशों के अधीन होगा।

34– किसी भी प्रकार के विवाद होने की दशा में न्यायिक क्षेत्र गोरखपुर होगा।